न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 51/2017 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. सुरेन्द्र उर्फ सुन्नो
2. नटवर उर्फ यादराम

} पिसरान रूपचन्द जाति ब्राहम्ण नि0 नगला परसराम तह0 व जिला भरतपुर

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र डालचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी नगला परसराम हाल निवासी सिविल लाईन स्कूल के पास गोपालगढ भरतपुर।

.....असल रेस्पोंडेंट।

2. रतन प्रकाश (फौत)
   - 2/1. मुकेश
   - 2/2. सुभनेश
   - 2/3. भुवनेश
   - 2/4. लक्ष्मीकान्त

   } पिसरान रतनप्रकाश
   - 2/5. आशा पुत्री रतनप्रकाश
   - 2/6. मन्जू पुत्री रतनप्रकाश

   } जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।
3. तुलसीराम पुत्र रूपचन्द
4. प्रमेश पुत्री रूपचन्द
5. मधु उर्फ भूरी पुत्री रूपचन्द
6. बंगालीराम पुत्र डालचन्द
7. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार
8. अलवर भरतपुर ग्रामीण ऑचलिक बैंक शाखा अनाह गेट जरिये मैनेजर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर दिनांक 14.01.2013 मि.नं. 81/2006 उनवानी रामगोपाल बनाम बंगालीराम।

अभिभाषक :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री सोनीराम शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पोडेण्ट श्री हनुमान प्रसाद गोयल उपस्थित।

निर्णय दिनांक–06.04.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में असल रैस्पो0/वादी द्वारा एक दावा वास्ते डिवीजन ऑफ होल्डिंग अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियिम विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादी एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1260, 1261, 1262, 1434, 1435, 1454 वाके ग्राम गांवडी तहसील भरतपुर में असल रैस्पो0/वादी 1/4 हिस्से का प्रतिवादी/अपीलाण्ट के साथ सहकाश्तकार काबिज है। उक्त विवादित आराजी असल रैस्पो0/वादी व प्रतिवादी/अपीलाण्ट की कोटीनेन्सी की आराजी है, जिसे उभयपक्षकारान संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। परन्तु अब असल रैस्पो0/वादी व प्रतिवादी/अपीलाण्ट का शामिल काश्त करना सम्भव नहीं हो पा रहा है और फसल के समय विवाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विधिवत विभाजन कराकर पृथक से खाता कायम करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से प्राथमिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से काबिल मन्सूखी है। अपीलाण्ट व रैस्पो0 संख्या 04 से 06 विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा के सहखातेदार है और उक्त रकवा अपीलाण्ट व तरतीवी रेस्पो0 संख्या 04 व 06 ने अपनी माता से विरासत में प्राप्त किया है जिसमें अपीलाण्ट के पिता श्री रूपचन्द भी हिस्सेदार थे जिनको दावा में पक्षकार नहीं बनाया गया है। आराजी मुतनाजा का मनवट मौके पर कर रखा है और वर्षो से मनवट के अनुसार ही शांती पूर्वक सहमति से काश्त करते चले आ रहे हैं। रैस्पो0 असल का रकवा मनवट शुदा वंजर हालत में पडा हुआ है इसलिये उसने चालाकी से सही हालात को छुपाकर दावा न्यायालय तहत में प्रस्तुत कर जल्दबाजी में डिक्री करा लिया है जो कानूनी प्रावधानो के विपरीत है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजीयात जमाबन्दी में रूपचन्द के नाम है जबकि दावा रूपचन्द के वारिसान के नाम से दायर किया है जबकि अभी नामान्तकरण भी नहीं खुला है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को ना तो जवाव दावा प्रस्तुत करने का अवसर दिया और ना ही साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का ही अवसर दिया एवं केवल असल रैस्पो0 के कथनो पर विश्वास करते हुये प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जो कतई सही नहीं है। यह है कि बॅटवारे के दावे में प्रत्येक सहखातेदार के हितो को ध्यान में रखते हुये प्राथमिक डिक्री पारित की जा सकती है। मगर सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1991 पेज 218, 1990 पेज 644, आरबीजे 1997(4) पेज 257 का हवाला देते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में कथन किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यो की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। विवादित आराजीयात बाबत् मौके पर कोई मनवट नहीं हो रखा है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अभिभाषक उपस्थित रहे हैं अतः उनका यह कथन सही नहीं है कि उन्हें सुनवाई अथवा साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं मिला। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यो की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2009/2010 पेज 535, 2016/2017 पेज 158, 2016(2) पेज 1381, 2017(1) पेज 711, 2012(1) पेज 569, 2007 पेज 939, 2001 पेज 77, डीएनजे 2019 पेज 1018, 2003 पेज 1266, आरआरडी 1989 पेज 85, 2006–07 पेज 165 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में असल रैस्पो0 द्वारा विवादित आराजीयात के बॅटवारे का दावा प्रस्तुत किया। दावे में मृतक राधा के वारिसान को प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 बनाया गया। राधा के पति रूपचन्द थे, जहॉ तक उन्हें दावे में पक्षकार नहीं बनाये जाने का संबंध है तो अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में इस बाबत् कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.10.2006, 30.10.2007 को जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। आदेशिका दिनांक 24.09.2009 के अनुसार प्रतिवादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता की अनापत्ति के आधार पर प्रतिवादी संख्या 06 व 07 को दावे से तर्क किया गया और अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 को जवाब दावा पेश करने हेतु अंतिम मौका दिया गया था। उनके द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत ना करने पर दिनांक 22.02.2010 को जवाब दावा बंद कर दिया गया और प्रकरण वास्ते साक्ष्य वादी में नियत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.03.2011 के अनुसार असल रैस्पो0/वादी की साक्ष्य पेश हुई प्रतिवादी जिरह नहीं करना चाहने पर साक्ष्य बंद कर दी गई और पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी नियत कर दी गयी। आदेशिका दिनांक 03.01.2013 को साक्ष्य प्रतिवादी में कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते एवं उभयपक्ष अभिभाषक प्राथमिक डिक्री किये जाने से सहमत होने पर बहस सुनी गयी एवं प्रकरण में दिनांक 14.01.2013 को प्राथमिक डिक्री पारित की गयी। जिसकी अपील अपीलाण्ट ने प्रस्तुत की है। अपीलाधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री अधीनस्थ न्यायालय ने इस आशय की पारित की है कि तहसीलदार भरतपुर मौके पर जाकर उभयपक्ष की सहमति से विवादित आराजी के अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी के इस प्रकार कुर्रे प्रस्ताव तैयार करें कि उभयपक्षकारान को उनके हिस्सानुसार लाभ मिल सकें। राधा के पति की मृत्यु दिनांक 13.04.2007 को हो चुकी है अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में राधा के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। अभी भी विवादित आराजी मुताबिक जमाबन्दी संवत 2055–58 रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 3 एवं अपीलाण्ट व रैस्पो0 संख्या 04 लगायत 06 की माता राधा के नाम ही दर्ज रिकार्ड है। मृतक राधा के पति की भी मृत्यु को अपीलाण्ट ने स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय में कुर्रे प्रस्ताव पर मृतक राधा के वारिसान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री में

अखिलेश कुमार पिपलवा
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

मृतक रूपचन्द के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाया है जहॉ तक रैस्पो0 संख्या 05 व 06 की और से की गई रिलीज डीड प्रस्तुत नहीं करने का प्रश्न है तो इस बाबत् आपत्ति भी अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा कुर्रे प्रस्ताव पर उठाई जा सकती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील में ऐसी कोई विधिक त्रुटि नहीं प्रतीत नहीं होती है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री को निरस्त किया जाना न्यायोचित हो।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.2013 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटासा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06.04.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर